रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-104/2024/697/22-2-2023-17(822)2021

लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी धनलाल (बन्दी संख्या-181/2019) पुत्र श्री विद्याराम, ग्राम-गोड़हिया न0-03, थाना-कैसरगंज, जनपद-बहराइच का निवासी है, जिन्हें बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-15/2004 में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149,201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट), बहराइच के आदेश दिनांक 29.08.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.05.2016 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 03.08.2022 तक 14 वर्ष, 02, माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 01 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

विनोद कुमार **द्विवेदी**

उप सचिव।

संख्या-104/2024/697(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच।

3- पुलिस अधीक्षक बहराइच।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका(क्रि0) डायरी सं0-27930/2022 धनलाल बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 14-10-2022 के सन्दर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in